10. Road over bridge between Mancherial-Peddampet

11. Road over bridge between Anakapalli-Thadi

12. Road over bridge between Thadi-Duvvada

13. Road over bridge between Mehbub Nagar-Manyakonda

14. Road over bridge between Kazipet-Pindal

15. Road over bridge between Timmapur-Umdanagar

Recommendations made by Nanjundappa Panel

1195. SHRI INDER KUMAR GUJRAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision on the recommendations made by Nanjundappa Panel; and

(b) if so, what are the details of the decisions taken on this Report ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS : (SHRI K.C. LENKA) : (a) and (b) The report of the Railway Fare and Freight Committee headed by Dr. D.M. Manjundappa was submitted only recently and recommendations made require examination in depth.

रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि

1196. श्री ईशदत्त यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1993-94 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वर्ष 1992-93 की तुलना में वृद्धि हुई है ;

(ख) वर्ष 1993-94 में हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 की अवधि के दौरान 423 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई, ।

(ग) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए सरक्षा संबंधी कुछ उपायों में रेलपथ, पुल, चल स्टाक, आदि जैसी गतायु परिसम्पत्तियों का नवीकरण तथा पुनःस्थापन शामिल है । चुनिंदा उच्च घनत्व वाले मार्गों पर रेलपथ संरचना को निरंतर उन्नत किया जा रहा है । टूट-फूट का पता लगाने के लिए पटरियों तथा धुरों की पराश्रव्य जांच की जाती है, सहायक चेतावनी प्रणाली, धुरा काउंटरों, रूट रिले अंतर्पाशन तथा रेलपथ परिपथन जैसे सिगनल उपकरणों को लगाने तथा उनके विस्तार से संबंधित कार्यों में तेजी लाई गई है, रेलपथ, सवारी डिब्बों माल डिब्बों, रेल इंजनों और सिगनल तथा दूरसंचार गियरों का गहन निरीक्षण तथा जांच की जाती है ।

परिचालन कोटियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कार्य निष्पादन पर नजर रखी जाती है । ड्राइविंग तकनीकों के बारे में ड्राइवरों को परामर्श दिया जाता है, । वात ब्रेक युक्त चल स्टाक के परिचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है । समपारों पर दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए दृश्य-श्रव्य साधनों के माध्यम से प्रचार किया जाता है ताकि समपारों को सुरक्षित ढंग से पार करने के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित किया जा सके ।

कानपुर से कासगंज के बीच मीटर लाईन का अमान परिवर्तित किया जाना

1197. मौलाना औबैदुल्ला खान आजमी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर और कासगंज के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) अमान परिवर्तन के उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) और (ख) कासगंज–कनपुर के अमान परिवर्तन और कासगंज से अलीगढ़ तक और कासगंज से एटा तक नई बड़ी लाइन के विस्तार के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगी।

Improvement in catering services in running trains

1198. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken by Government to improve the catering services in running trains; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K C LENKA) : (a) and (b) Improvement in catering is an on-going process. Railways have initiated measures such as introduction of Pantry Car service, modernisation of base kitchens, introduction of casserole services, intensive inspections, supply of cooked food on trains by reputed caterers, crash, training programme for cooks and direct induction of qualified cooks from markets etc. in this direction.

यात्रियों को मुआवजा

1199. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 322 डाउन टाटा यात्री गाड़ी मध्य प्रदेश के रयागढ़ जिले के किरोड़ीमल रेलवे स्टेशन के निकट 4 दिसम्बर, 1992 को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) मृत यात्रियों के परिवारों के सदस्यों द्वारा भोपाल रेलवे दावा न्यायाधिकरण में मुआवजे के कितने मामले दर्ज किये गये हैं ; उन्हें मुआवजे का भुगतान कब तक किया जाएगा;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे दावा न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य का पद रिक्त पड़ा हुआ है, यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त है और इसे कब तक भरा जाएगा ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि दुर्घटना से संबंधित मामलों की सुनवाई गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो रही है और सुनवाई की तारीख को लगातार बढ़ाया जा रहा है तथा शोक–सन्तप्त परिवारों को उचित न्याय नहीं मिल रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) 322 डाउन नागपुर–टाटानगर पैसेंजर गाड़ी 4-9-92 को किरोड़ीमल नगर स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी।

(ख) इस दुर्घटना में 40 यात्री मारे गए थे।

(ग) रेल दावा अधिकरण, भोपाल में अक्तूबर, 92 से जुलाई, 93 के बीच दुर्घटनाओं संबंधी दावों के 49 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 6 मामले दावाकर्ताओं के अनुरोध पर रेल दावा अधिकरण, सिकन्दराबाद में अन्तरित कर दिए गए हैं। इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) जी, हां सदस्य न्यायिक/भोपाल का पद जनवरी, 93 से खाली पड़ा है और रेल दावा अधिकरणों में सदस्यों के सभी पदों को भरने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है जिसमें रेल दावा अधिकरण भोपाल का पद भी शामिल है।

(ङ) जी, नहीं रेल दावा अधिकरण, भोपाल के काम में निरंतरता बनाये रखने के लिए जुलाई, 1993 में सदस्य न्यायिक/दिल्ली को विशेष रूप से भोपाल जाने के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया था जिन्होंने वहां सुनवाई की। तथापि मामलों की लगातार सुनवाई नहीं हो पायी।